न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र/77/2021

होशियार सिंह पुत्र रंगराव सिंह जाति राजपूत निवासी गांव हांसावास जिला रेवाडी–हरियाणा।

......प्रार्थी

बनाम

राज0 सरकार जरिये पैरोकार, भरतपुर

......अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी बावत वाहन पिकअप बोलेरो एच. आर 62/5662 वमुकदमे एफ.आई.आर. संख्या 12/21 अन्तर्गत धारा 5,8 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) थाना सदर डीग, भरतपुर।

उपस्थित :–

1. श्री नरेन्द्र प्रसाद शर्मा, अभिभाषक प्रार्थी
2. राजकीय पैरोकार

निर्णय **दिनांक 16.02.2022**

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी इस आशय का पेश किया गया है कि प्रार्थी गांव हांसावास जिला रेवाडी–हरियाणा का निवासी है तथा वाहन पिकअप बोलेरो एच.आर 62/5662 की पॉवर ऑफ अटॉर्नी कराई हुई है। प्रार्थी का उक्त वाहन दिनांक 13.10.2021 की रात्रि को चोरी हुआ था जिसकी एफ.आई.आर नंबर 400/2021 दिनांक 18.10.2021 को धारा 379 भादंस थाना विलासपुर जिला गुरूग्राम में की गई थी। दिनांक 26.10.2021 को थाना सदर डीग द्वारा अभियोग संख्या 12/2021 के तहत बरामद कर ली गई है। जिसको प्रार्थी अपनी सुपुर्दगी में लेने का अधिकारी है। अन्त में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाहन पिकअप बोलेरो एच.आर 62/5662 को सुपुर्दगी दिये जाने हेतु निवेदन किया है।

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। थानाधिकारी, पुलिस थाना सदर डीग जिला भरतपुर से रिपोर्ट तलब की गई। थानाधिकारी, पुलिस थाना सदर डीग से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 22.12.2021 शामिल पत्रावली की गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में दर्ज कथनों को दोहराते हुये कथन किया है कि जब्तशुदा वाहन पिकअप बोलेरो एच.आर 62/5662 का पॉवर ऑफ अटॉर्नी की हुई है तथा सुपुर्दगी में लेने का हकदार है। उक्त वाहन दिनांक 13.10.2021 को चोरी हुआ था जिसकी एफ.आई.आर 400/2021 थाना विलासपुर गुरूग्राम में कराई गई थी। वाहन को दिनांक 26.10.2021 द्वारा थाना सदर डीग ने गौवंश में लिप्त होने पर एफ.आई.आर संख्या 12/2021 में बरामद किया हुआ है। उक्त वाहन का प्रार्थी द्वारा कभी भी गोवंश में प्रयोग नही किया है और ना ही अपराध किया है। वाहन सुपुर्दगी के सबंध में न्यायालय द्वारा जो भी आदेश दिया जावेगा उसकी पालना की जावेगी। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा वाहन को सुपुर्दगी में दिये जाने का निवेदन किया है।

अभियोजन अधिकारी की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र का खण्डन करते हुये तर्क दिया है कि उक्त वाहन का उपयोग गोवंश की तस्करी एवं अवैध परिवहन के लिए किया गया है तथा वाहन अवैध गौवंश परिवहन में लिप्त था, उक्त वाहन में 5 गौवंश को रस्सियों से निर्दयता पूर्वक ढंग बंधे हुये थे। वाहन स्वामी के पास में कोई रवन्ना या परमिट नही था जिससे कि प्रार्थी यह सिद्ध कर सके कि उक्त वाहन का उपयोग गोवंश की गौकशी में नही किया जा रहा हो। अभियोजन अधिकारी द्वारा सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक प्रार्थी के कथनों पर गौर किया। थानाधिकारी पुलिस थाना सदर डीग जिला भरतपुर की रिपोर्ट का अध्ययन किया गया। थानाधिकारी पुलिस थाना सदर डीग ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि मौके पर जब्त वाहन पिकअप बोलेरो एच.आर 62/5662 में 5 गौवंश जिसमें 01 सांड व 01 गाय मृत अवस्था एवं 2 गाय व 01 सांड जीवित अवस्था में रस्सियों से बंधे हुये थे। वाहन स्वामी के रूप में राजवीर नाथ पुत्र रघुवीर नाथ निवासी जाखल जिला फतेहाबाद हरियाणा अंकित है, उक्त वाहन पर फर्जी नम्बर प्लेट लगाई हुई थी। प्रकरण में वाहन स्वामी व अपराध में उपयोग में लिये गये वाहन से तफतीश होना शेष है। इससे यह तथ्य साबित होता है कि उक्त वाहन का उपयोग अवैध रूप से गौवंश की तस्करी में उपयोग में लिया गया है जो कि गौवंश के प्रति अमानवीय कृत्य की श्रेणी में आता है। प्रार्थी द्वारा अपनी सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र के समर्थन में कोई तथ्य या दस्तावेज पेश नही किये जिससे यह प्रमाणित हो सके की उक्त वाहन का

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०)

उपयोग अवैध गौकशी में संलिप्तता न हो। प्रकरण में वाहन स्वामी व वाहन से किये गये अपराध की तफतीश किया जाना शेष है। प्रार्थी किसी भी प्रकार की रिलीफ पाने का अधिकारी नही है। ऐसी स्थिति में जप्त गोवंश में संलिप्त वाहन पिकअप बोलेरो एच.आर 62/5662 को सुपुर्दगी में नहीं दिया जा सकता है। प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी काबिल खारिज के रहता है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी बावत् वाहन पिकअप बोलेरो एच.आर 62/5662 खारिज किया जाता हैं। निर्णय की प्रति थाना अधिकारी सदर डीग (भरतपुर) को आवश्यक एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.02.2022 को सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर, भरतपुर
जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०